रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2015/ज्येष्ठ 26, 1937
No. 394] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2015/JYAISTHA 26, 1937

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2015

सा.का.नि. 494(अ).—केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 96 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पौधा किस्म और कृषक अधिकार नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) मे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पौधा किस्म और कृषक अधिकार नियम, 2003 (जिनकों इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 8 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) पौधा किस्मों के रजिस्ट्रीकरण और अधिनियम के अधीन कोई अधिकार प्रदान करने या अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई आवेदन या कोई दस्तावेज फाइल करने के संबंध में संदेय फीस की रकम दूसरी अनुसूची से विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार होगी।"।

3. मूल नियमों के नियम 16 में, उपनियम 7 में, शब्द "पांच" से पूर्व "अध्यक्ष और महारजिस्ट्रार को छोड़कर" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

4. मूल नियमों के नियम 19 में उपनियम (5) का लोप किया जाएगा।

5. मूल नियमों के नियम 20 में, -

(क) उपनियम (2) में "सीधी भर्ती की रीति द्वारा या संविदा के आधार पर साक्षात्कार करने के पश्चात चयन द्वारा" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ख) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भी नियुक्ति कर सकेगा, जो उसके द्वारा प्रतिनियुक्ति पर या संविदा के आधार पर अपेक्षित हो।"

6. मूल नियमों के नियम 22 में,-

(क) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) प्राधिकरण ऐसी प्रजातियों की विद्यमान किस्में धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन ऐसी अवधि के भीतर, जो उसके द्वारा अवधारित की जाए, रजिस्टर करेगा और ऐसी प्रजातियों की भिन्नता, एकरूपता और स्थामित्व (जिनको इसमें इसके पश्चात् डी यू एस कहा गया है) के अनुरूप उपयुक्त परीक्षण मानदण्ड प्लाट वैराइटी जर्नल आफ इण्डिया में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।"

(ख) उपनियम(2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2अ) प्राधिकरण, विद्यमान किस्मों (कृषकों की किस्मों से अन्यथा) को रजिस्टर करेगा, यदि रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन के लिए फाइल करने की तारीख को ऐसी किस्म, ऐसी किस्म के उपयोग के प्रयोजनों के लिए वृक्षों और लताओं की दशा में अठारह वर्षों की अवधि के लिए और अन्य दशाओं में पन्द्रह वर्षों के लिए विक्रीत नहीं की गई है या अन्यथा उसका निपटान नहीं किया गया हैं"।

7. मूल नियमों में नियम 24 का लोप किया जाएगा।

8. मूल नियमों में, नियम 29 में, -

(क) उपनियम(4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(4) आवश्यक रूप से प्राप्त किस्मों और बीज अधिनियम 1966(1966 का 54) की धारा 5 के अधीन अधिसूचित किस्मों के सिवाय डीयूएस परीक्षण सभी नई और विद्यमान किस्मों के लिए आवश्यक होगा।

4(अ) डीयूएस मानदण्ड अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना परीक्षणों की रिपोर्ट के आधार पर अवधारित किए जाएंगे।"

(ख) उप नियम(5) का लोप किया जाएगा।

9. मूल नियमों में, नियम 30 में उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) रजिस्ट्रार किसी किस्म को डीयूएस परीक्षण हेतु भेजने से पूर्व जर्नल में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र, जहां ऐसी किस्म का डीयूएस परीक्षण किया जाएगा, का नाम और पता प्रकाशित करेगा"।

10. मूल नियमों में, नियम 31 में, उपनियम (4) में "जिसके न हो सकने पर रजिस्ट्रार विरोध के गुणागुण विनिश्चित करेगा और इसके लिए कारण देते हुए अपना विनिश्चय अधिसूचित करेगा" शब्दों का लोप किया जाएगा।

11. मूल नियमों में, नियम 32 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्

"32 समय अनुसूची का अनुपालन- इन नियमों के अधीन विरोध, अंतिम विरोध, साक्ष्य, मध्यक्षेप लिखित कथन और उत्तर के लिए नोटिस हेतु, उपबंधित समय अनुसूची, समय विस्तार चाहने वाले व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर प्राधिकारी या रजिस्ट्रार के विशेष आदेश द्वारा और दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर के सिवाय, साधारण तथा विस्तारित नहीं की जाएगी तथा विस्तार के लिए ऐसा आवेदन प्रथम अनुसूची के प्ररूप पीवी-5 में होगा"।

12. मूल नियमों में, नियम 33 में :-

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द

"विरोध का नोटिस, प्रतिकथन फाइल करने की समय-सीमा, और साक्ष्य" का लोप किया जाएगा,

(ख) उपनियम (6) का लोप किया जाएगा।

13. मूल नियमों में, नियम 35 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात-

"35 आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्मों के परीक्षण की रीति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले के आधार पर विनिश्चित किया जाएगा और उसे प्लांट वैराइटी जर्नल ऑफ इण्डिया में प्रकाशित किया जाएगा।"

14. मूल नियमों में, नियम 53 में, -

IndiaCode

(क) उप नियम (4) में, खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में "रजिस्ट्रार" शब्द के स्थान पर क्रमशः "प्राधिकारी" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपनियम (5) में "राजपत्र" शब्द के स्थान पर "जर्नल" शब्द रखा जाएगा।

15. मूल नियमों में, नियम 76 में, पार्श्व शीषर्क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"76 धारा 83 के अधीन प्रमाणित प्रति जारी करने और धारा 84 के अधीन निरीक्षण हेतु प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए संदेय फीस।"

16. मूल नियम में, पहली अनुसूची में, -

(क) प्ररूप पीवी- 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप पीवी- 5
(नियम 32 देखें)

पौधा किस्म और कृषिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 समय विस्तार के लिए अनुरोध

मैं/हम[1] नियम 32 के अधीन फाइल करने के लिए महीने तक समय का विस्तार करने हेतु अनुरोध करता हूं/करते हैं।

आवेदन सं. के संबंध में।

यह आवेदन करने के लिए निम्नलिखित कारण है –

1.

2.

भारत में तामील के लिए मेरा पता निम्नवत है।

.....

तारीख20

हस्ताक्षर[2]

सेवा में,
प्राधिकारी
पौधा किस्म रजिस्ट्री
.....

1. आवेदक का नाम (पूरा नाम), पता तथा राष्ट्रीयता का उल्लेख करें।

2. आवेदक (आवेदकों) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं" ;

(ख) प्ररूप पीवी- 15 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

प्ररूप पीवी- 15
(देखें नियम 52)
पौध किस्म तथा कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत पौधा किस्म के पंजीकरण के प्रमाणपत्र प्रतिसंहरण के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन

..... फसल की पौधा किस्म के मामले में, जिसका पंजीकरण संख्या है, जो के नाम में पंजीकृत है, एतद्वारा [1] द्वारा, जो पौधा किस्म की उपरोक्त कथित पंजीकृत पौधा किस्म का [2] है, आवेदन किया जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर और संलग्न विवरण में पूर्णतया उल्लेखित परिस्थितियों में प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण किया जाए।

. यह कि पंजीकरण का प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा दी गई गलत सूचना पर आधारित है।

. यह कि पंजीकरण का प्रमाणपत्र किसी ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षण का पात्र नहीं है।

IndiaCode

. यह कि संवर्धक ने रजिस्ट्रार को वह सूचना, दस्तावेज अथवा सामग्री नहीं दी जैसी कि इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण के लिए अपेक्षित है।

. यह कि संवर्धक किस्म के वैकल्पिक वर्ग प्रदान करने में असफल रहा जो उस मामले में रजिस्ट्रार के लिए पंजीकरण की विषय-वस्तु है जहां रजिस्ट्रार को प्रदान की गई ऐसी किस्म के पहले के वर्ग इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए अनुज्ञेय नहीं है।

. यह कि संवर्धक ने उस व्यक्ति को आवश्यक बीज अथवा प्रचार-प्रसार सामग्री प्रदान नहीं की जिसे उस किस्म के संबंध में धारा 47 के अन्तर्गत अनिवार्य लाइसेंस जारी किया गया है, जिसके संबंध में ऐसे प्रजनक को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

. यह कि संवर्धक ने इस अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है ।

. यह कि संवर्धक ने इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी प्राधिकरण के निर्देश का अनुपालन करने में असमर्थ रहा है।

. यह कि पंजीकरण के प्रमाणपत्र का दिया जाना लोक हित में नहीं है।

इस आवेदन से संबंधित सभी पत्र-व्यवहार निम्नलिखित पते पर किए जाए।

[3]

तारीख 20

हस्ताक्षर[4]

सेवा में,

प्राधिकारी,

पौधा किस्म प्राधिकरण रजिस्ट्री

स्थित[5]

1. आवेदक का नाम भरें।

2. रजिस्ट्रीकृत पौधा किस्म के साथ आवेदक के संबंध की प्रकृति

3. आवेदक का पता।

4. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

5. पौधा किस्म रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम बताएं"। ;

(ग) प्ररूप पी.वी. 16 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

प्ररूप पीवी- 16

(देखें नियम 53(2) देखें)

पौध किस्म तथा कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

पौधा किस्म के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के प्रतिसंहरण का विरोध करने के लिए विरोध की सूचना

..... [1] द्वारा रजिस्ट्रीकरण के प्रमाम पत्र के प्रतिसंहरण के आवेदन के मामले में, से हम[2] जो रजिस्ट्रीकृत संवर्धक हूँ/हैं है, फसल की पौधा किस्म, जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. है, जिसकी पौधा किस्म के रजिस्ट्रार द्वारा भेजी गयी सूचना मुझे तारीख 200 को प्राप्त हुई, के प्रमाण-पत्र के प्रतिसंहरण का विरोध करने के मेरे/हमारे आशय की सूचना देता हूँ/देते हैं।

विरोध के तथ्य और आधार उल्लिखित करने वाला लिखित कथन निम्नवत है:-

[3].

इन कार्यवाहियों के संबंध में सभी पत्र-व्यवहार भारत में निम्नलिखित पते पर किया जाए।

[4]

तारीख 20

हस्ताक्षर[5]

IndiaCode

सेवा में,

प्राधिकारी,

पौधा किस्म रजिस्ट्री का कार्यालय,

स्थित [6].....

1. पौधा किस्म के प्रतिसंहरण का आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम ।
2. रजिस्ट्रीकृत संवर्धक का नाम।
3. लिखित कथन, जिसमें विरोधी के हित की किस्म निर्धारित है, तथ्य जिन पर वह अपना मामला आधारित करता है, और राहत जिसकी वह मांग करता है। विरोधी अपने विश्वास के अनुसार कोई भी ऐसा दस्तावेज विरोध की सूचना के अनुबंध के रूप में दे सकता है।
4. उसके व्यापार या आवास के मुख्य स्थान का नाम व पता।
5. विरोध के आवेदन करने वाले व्यक्ति या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
6. पौधा किस्म रजिस्ट्रीकृत के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम बताएं"। ;

(घ) प्ररूप पीवी- 17 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

प्ररूप पीवी- 17

[देखें नियम 53(4) देखें]

पौध किस्म तथा कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

सुने जाने के अवसर के लिए आवेदन

धारा [1] के अन्तर्गत दिनांक दिवस 20 को किए गए आवेदन के मामले में, मै [2] आवेदक अथवा विरोधी को आवेदन करता हूँ कि उपरोक्त मामले के संदर्भ में सुने जाने का एक अवसर प्रदान करें। यह अनुरोध है कि सुनवाई का समय और स्थान मुझे निम्नलिखित पते पर सूचित किया जाएगा।

[3].

तारीख दिन 20

हस्ताक्षर [4]

सेवा में,
प्राधिकारी,
पौधा किस्म रजिस्ट्री का कार्यालय,
स्थित [5]

1. धारा संख्या, फार्म संख्या और प्रतिसंहरण के लिए आवेदन करने वाले आवेदक अपने विवरण को भरें।
2. इस नोटिस को देने वाले व्यक्ति का नाम।
3. इस नोटिस को देने वाले व्यक्ति का पता।
4. नोटिस देने वाले व्यक्ति अथवा उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
5. पौधा किस्म रजिस्ट्री के उपयुक्त कार्यालय के स्थान का नाम उल्लेखित करें।
6. जो लागू न हो, काट दें"। ;

IndiaCode

17. मूल नियमों में, दूसरी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

"दूसरी अनुसूची
(नियम 8 देखें)
फीस

क्र. सं. (1)	मामले जिन पर फीस संदेय है (2)	फीस की रकम (3)	प्ररूप संख्या (4)
1	किए जाने वाले परीक्षण	1) परीक्षण की प्रकृति और प्रकार पर आधारित अधितकम 2,00,000/= रू. प्रति ऐन्ट्री के अध्यधीन 2) ऑन- फार्म डीयूएस परीक्षण हेतु, फीस मद (1) के लिए विनिर्दिष्ट फीस के अधिकतम चार गुणा के अध्यधीन, डीयूएस परीक्षण स्थलों की अवस्थिति पर निर्भर करेगी	-
2	विरोध की सूचना	10,000/= रू.	पी वी 3
3	प्रति कथन	2000/= रू.	पी वी 4
4	समय विस्तार	5000/= रू. प्रति माह	पी वी 5
5	आवश्यक रूप से व्युत्पत्र किस्मों के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस	व्यष्टिक - 7000/= रू. शैक्षणिक - 10,000/= रू. वाणिज्यिक - 50,000/= रू.	-
6	बीज अधिनियम, 1966(1966 का 54) की धारा 5 के अधीन यथाअधिसूचित विद्यमान किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस	2000/= रू.	-
7	विद्यमान किस्मों से अन्यथा जेनरा और स्पीशीज की किसी किस्म और अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 14 के खण्ड (क) में यथाविनिर्दिष्ट किसानों की किस्मों के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस।	व्यष्टिक- 7000/= रू. शैक्षणिक- 10000/= रू. वाणिज्यिक- 50000/= रू.	-
8	किसी ऐसी किस्म, जिसके बारे में आम जानकारी है, अर्थात् अधिनियम की धारा 2 के खंण्ड (ञ) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विद्यमान किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस।	व्यष्टिक- 7000/= रू. शैक्षणिक- 10000/= रू. वाणिज्यिक- 50000/= रू.	-
9	नवीकरण फीस	व्यष्टिक- 7000/= रू. शैक्षणिक- 10000/= रू. वाणिज्यिक- 50000/= रू. प्रति वर्ष	पी वी 6
10	प्रसुविधा लेने के लिए आवेदन	10000/-	पी वी 7
11	प्रसुविधा लेने के लिए विरोध का नोटिस	5000/-	पी वी 8
12	अभिकर्त्ता अनुज्ञप्तिधारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन	15000/-	पी वी 9
13	रजिस्ट्रीकरण मे निबंधनों में फेरफार/रद्दकरण हेतु आवेदन	व्यष्टिक-3000/- शैक्षणिक-5000/- वाणिज्यिक-10000/-	पी वी 10
14	रजिस्ट्रीकरण मे निबंधनों में फेरफार/रद्दकरण हेतु आवेदन के विरोध का नोटिस।	5000/-	पी वी 11
15	पौधा किस्म के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण का आवेदन	5000/-	पी वी 12

16	प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण की प्रस्थापना के विरोध का नोटिस	5000/-	पी वी 13
17	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्रतिसंहरण का आवेदन	20000/-	पी वी 15
18	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्रतिसंहरण के आवेदन के विरोध का नोटिस।	5000/-	पी वी 16
19	पौधा किस्म के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के रद्दकरण या परिवर्तन के लिए आवेदन	10000/-	पी वी 18
20	राष्ट्रीय पौधा किस्म रजिस्टर में शुद्धिकरण हेतु आवेदन	10000/-	पी वी 19
21	राष्ट्रीय पौधा किस्म रजिस्टर में शुद्धिकरण हेतु आवेदन के विरोध का नोटिस	5000/-	पी वी 20
22	राष्ट्रीय पौधा किस्म रजिस्टर मे स्वामी/अभिजनक द्वारा शुद्धिकरण हेतु आवेदन	10000/-	पी वी 21
23	राष्ट्रीय पौधा किस्म रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शुद्धिकरण हेतु आवेदन	5000/-	पी वी 22
24	रजिस्ट्रीकृत पौधा किस्म के अभिधान को परिवर्तित करने हेतु आवेदन	20,000/-	पी वी 23
25	रजिस्ट्रीकृत पौधा किस्म के अभिधान को परिवर्तित करने हेतु आवेदन के विरोध का नोटिस	10000/-	पी वी 24
26	प्रतिकर का दावा करने हेतु आवेदन के विरोध का नोटिस	5000/-	पी वी 26
27	प्रतिकर का दावा करने हेतु आवेदन के विरोध का नोटिस	5000/-	पी वी 27
28	अनिवार्य अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन	25000/-	पी वी 28
29	अनिवार्य अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन के विरोध का नोटिस	10000/-	पी वी 29
30	अनिवार्य अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण हेतु आवेदन	10000/-	पी वी 30
31	अनिवार्य अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण हेतु आवेदन के विरोध का नोटिस	5000/-	पी वी 31
32	धारा 84 के अधीन पौधा किस्म रजिस्टर में प्रविष्टि के निरीक्षण हेतु आवेदन	1000/- (प्रति प्रविष्टि)	पी वी 33
33	धारा 84 के अधीन प्रमाणित प्रतियों के लिए अनुरोध	500/- रू. प्रति पृष्ठ	पी वी 33"।

18. मूल नियमों में, तीसरी अनुसूची में, प्ररुप संख्या ण-12 के सामने, स्तंभ (3) के नीचे विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"समुदायों के अधिकारों हेतु प्रतिकर के लिए नोटिस"।

19. मूल नियमों में, चौथी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

चौथी अनुसूची

[नियम 20(1) देखें]

क्र.सं. (1)	पद का नाम (2)	पदों की सं. (3)	केन्द्र में समतुल्य पद (4)	वेतन बेण्ड या ग्रेड वेतन या वेतनमान (5)
1	वित्तीय सलहाकार	1	निदेशक	वेतन बेण्ड-4(37400-67000 रू.) ग्रेड वेतन 8700/रू. सहित
2	विधि सलाहकार	2	अवर सचिव	वेतन बेण्ड-3(15600-39100 रू.) ग्रेड वेतन 6600/रू. सहित
3	ज्येष्ठ लेखा अधिकारी	1	अवर सचिव	वेतन बेण्ड-3(15600-39100 रू.) ग्रेड वेतन 6600/रू. सहित

IndiaCode

4	पौधा किस्म परीक्षक	2	अनुभाग अधिकारी	वेतन बेण्ड-3(15600-39100 रू.) ग्रेड वेतन 5400/रू. सहित
5	ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी	5	सहायक	वेतन बेण्ड-2(9300-34800 रू.) ग्रेड वेतन 4600/रू. सहित
6	तकनीकी सहायक	1	तकनीकी सहायक	वेतन बेण्ड-2(9300-34800 रू.) ग्रेड वेतन 4200/रू. सहित
7	कम्प्यूटर सहायक	6	तकनीकी सहायक	वेतन बेण्ड-2(9300-34800 रू.) ग्रेड वेतन 4200/रू. सहित
8	कार्यपालक सहायक	2	तकनीकी सहायक	वेतन बेण्ड-2(9300-34800 रू.) ग्रेड वेतन 4200/रू. सहित

20. मूल नियमों में, छठी अनुसूची में,-

(क) पैरा 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2अ. कारोबार का मुख्य स्थान या आवेदक का अधिवास

_____"।

(ख) घोषणा में, अंत में विद्यमान समर्थनकारी प्राधिकारियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:-

"[संबंधित पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति का अध्यक्ष/सचिव या संबंधित जिला कृषि अधिकारी या अनुसंधान निदेशक/ संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के विस्तारण का निदेशक या संबंधित जिला जनजातीय विकास कार्यालय/ आंचलिक परियोजना निदेशक (आईसीएआर) (कार्यालय खड़ मुहर सहित)]"।

[फा सं 1-24/2012-एसडी.V]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग- II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 738(अ), तारीख 12.9.2003 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए है :- (i) सा.का.नि. 843(अ), तारीख 30.12.2004, (ii) सा.का.नि. 731(अ), तारीख 14.10.2008, (iii) सा.का.नि. 319(अ), तारीख 11.05.2009, (iv) सा.का.नि. 783(अ), तारीख 27.10.2009, (v) सा.का.नि. 901(अ), तारीख 17.12.2009, (vi) सा.का.नि. 949(अ), तारीख 03.12.2010, (vii) सा.का.नि. 900(अ), तारीख 17.12.2012, (viii) सा.का.नि. 901(अ), तारीख 17.12.2012, (ix) सा.का.नि. 902(अ), तारीख 17.12.2012, (x) सा.का.नि. 115(अ), तारीख 20.02.2013.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-Operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2015

G.S.R. 494(E).—In exercise of the powers conferred by Section 96 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003, namely:-

1. **Short title and commencement.–**(1) These Rules may be called the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (Amendment) Rules, 2015.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Rules, 2003 (herein after referred to as the principal rules), in rule 8, for sub- rule (1), the following sub- rule shall be substituted, namely:-

IndiaCode

"(1) The amount of fees payable in respect of the registration of plant varieties and grant of any right under the Act or any application or any document to be filed under the Act or the rules made thereunder shall be as per the rates specified in the Second Schedule. ".

3. In the principal rules, in rule 16, in sub - rule (7), after the word "five", the words "excluding Chairperson and Registrar - General" shall be inserted.

4. In the principal rules, in rule 19, sub-rule (5) shall be omitted.

5. In the principal rules, in rule 20,-

(a) in sub-rule (2), the words "by the method of direct recruitment or contract by selection after conducting interview." shall be omitted.

(b) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) Notwithstanding anything contained in sub rule (1), the Authority may also appoint such other officers and employees as may be required by it on deputation or on contract basis with the prior approval of the Central Government.".

6. In the principal rules, in rule 22,-

(a) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The Authority shall register extant varieties under clause (a) of sub-section (2) of section 8 of such genera or species and within such period as may be determined by it and the suitable test criteria to conform distinctiveness, uniformity and stability (hereinafter referred to as DUS) of such genera or species shall be specified in the Plant Variety Journal of India.".

(b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(2A) The Authority shall register extant varieties (other than farmers variety), if at the date of filing of the application for registration, such variety has not been sold or otherwise disposed of for the purposes of exploitation of such variety for a period of eighteen years in case of trees and vines and fifteen years in other cases.".

7. In the principal rules, rule 24 shall be omitted.

8. In the principal rules, in rule 29, -

(a) for sub- rule (4), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(4) The DUS test shall be necessary for all new and extant varieties except essentially derived varieties and for varieties notified under section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966).

4(A) The DUS criteria shall be determined based on report of the All India Coordinated Research Project trials. ".

(b) sub-rule (5) shall be omitted.

9. In the principal rules, in rule 30, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) Before sending a variety for DUS testing, the Registrar shall publish in the Journal for the purposes of inspection by any person, the name and location of the DUS test centre where such variety will undergo the DUS testing.".

10. In the principal rules, in rule 31, in sub-rule (4), the words "failing which the Registrar shall decide the merits of the opposition and notify his decision by giving reasons therefore" shall be omitted.

11. In the principal rules, for rule 32, the following rule shall be substituted, namely:-

"32. Compliance with time schedule.– The time schedule provided under these rules for notice of opposition, final opposition, evidence, intervention, written statement and reply shall not ordinarily be extended except by special order of the Authority or Registrar given on an application filed by the person seeking extension of time and on payment of the fee specified in the Second Schedule and such an application for extension shall be in Form PV-5 of the First Schedule.".

12. In the principal rules, in rule 33:-

(a) In the marginal heading, the words

"evidence and time limit for filing notice of opposition, counter – statement "shall be omitted;

(b) sub-rule (6) shall be omitted.

IndiaCode

13. In the principal rules, for rule 35, the following shall be substituted, namely:-
"35. The manner of testing essentially derived varieties shall be decided by the Authority on a case-to-case basis and the same shall be published in the Plant Variety Journal of India.".

14. In the principal rules, in rule 53,-
(a) In sub - rule (4), in clause (a), clause (b) and clause (c), for the word "Registrar" the word "Authority" shall respectively be substituted;
(b) in sub-rule (5) for the words "Official Gazette" the words "Journal" shall be substituted.

15. In the principal rules, in rule 76, for the marginal heading, the following shall be substituted, namely:-
" 76. Manner of issuing certified copy under section 83 and fee payable for obtaining a certified copy for inspection under section 84".

16. In the principal rules, in the First Schedule,-
(a) for Form PV-5, of the following Form shall be substituted, namely:-

"**FORM PV- 5**
[See rule 32]
THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS'
RIGHTS ACT, 2001
REQUEST FOR EXTENSION OF TIME

I/We[1] …….. hereby request for extension of time for months under rule 32 for filing…….

In respect of application No
The reason for making this application is/are follows:-
1
2

My / address for service in India is as follows:-
……..

Dated this day of 20

Signature[2]

To
The Authority
The Plant Varieties Registry
At

1. Insert the Name (in full), address and nationality of the Applicant.
2. To be signed by the Applicant(s).";

(b) For Form PV-15, the following form shall be substituted, namely:-

"FORM PV - 15
(See rule 52)

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS'
RIGHTS ACT, 2001

APPLICATION FOR REVOCATION OF THE CERTIFICATE OF REGISTRATION OF THE PLANT VARIETY REGISTERED UNDER THIS ACT BY ANY PERSON

In the matter of plant variety …… of crop ……., having registration No…….. registered in the name of ……. Application of hereby made by[1]……..being the ……[2] of the abovementioned registered plant variety for revocation of the certificate on one of the following grounds and in circumstances that are stand fully in the accompanying statement:

- that the grant of certificate of registration has been based on incorrect information furnished by the applicant.
- that the certificate of registration has been granted to a person who is not eligible for protection under this Act.

IndiaCode

- that the breeder did not provide the Registrar with such information, documents or materials as required for registration under this Act.
- that the breeder has failed to provide an alternative denomination of the variety which is subject-matter of the registration to the Registrar in case where the earlier denomination of such variety provided to the Registrar is not permissible for registration under this Act.
- that the breeder did not provide the necessary seeds or propagating material to the person to whom compulsory license has been issued under section 47 regarding the variety in respect of which registration certificate has been issued to such breeder.
- that the breeder has not complied with the provisions of this Act or rules or regulations made there under.
- that the breeder has failed to comply with the direction of the Authority issued under this Act.
- that the grant of certificate of registration is not in the public interest.

All the communications relating to this application may be sent at the following address:-
[3]…….

Dated this…….day of……20

Signature[4]…….

To

The Authority
The Plant Varieties Authority Registry
At[5]……..

1. Insert the name of the applicant.
2. Nature of relationship of the applicant with the registered plaint variety.
3. Address of the applicant.
4. Signature of the applicant or his agent.
5. State the name of the place of the appropriate office of the Plant Varieties Registry.";

(c) for Form PV-16, the following Form shall be substituted

"FORM PV-16
[See rule 53(2)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

NOTICE OF OPPOSITION TO OPPOSE THE REVOCATION OF CERTIFICATE OF REGISTRATION OF PLANT VARIETY

In the matter of application for revocation of certificate of registration by …….[1]I/We[2] ……. who is the registered breeder, hereby give notice of my intention to oppose the revocation of certificate, of plant variety……., of crop……., having registration No……notice of which was received by me, dated the …….day of…….20…….. sent by the Registrar of plant variety.

The written statement stating the facts and grounds of opposition are as follows:-
[3]……
All the communications in relation to these proceedings may be sent to the following address in India:-
[4]……..

Dated this……day of……20……..

Signature[5]……..

To

The Authority
The Office of the Plant Variety Registry
At[6]…….

1. Name of the person making an application for revocation of plant variety.
2. Name of the registered breeder.
3. Written statement setting out the nature of the opponent's interest, the facts upon which he bases his case and the relief, which he seeks. The opponent may furnish any documents upon which the opponent relies on as annexure to this notice of opposition.
4. Name and address of his principal of business or residence.
5. Signature of the person making this application for opposition or is agent.
6. State the name of the place of the appropriate office of the plant variety registry.";

(d) For Form PV-17, the following shall be substituted, namely:-

"FORM PV-17
[See rule 53(4)]

THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001

APPLICATION FOR AN OPPORTUNITY OF BEING HEARD

In the matter of the application made under Section[1]…… dated…… day of ……20……..I[2] ……the applicant or the opponent hereby making an application to the Registrar to provide an opportunity of being heard in reference to the above matter. It is requested that the time and place of the hearing by kindly intimated to me in the following address:-

[3]…….

Dated this……..day of……..20…….

Signature[4]……

To

The Authority
The Office of the Plant Varieties Registry
At[5]……

1. Insert particulars such as section No., Form No. and also the name of the applicant making an application for revocation.
2. Name of the person making this notice.
3. Address of the person giving this notice.
4. Signature of person giving the notice or of his agent.
5. State the name of the place of the appropriate office of the Plant Variety Registry.
6. Strike out whichever is not necessary.".

17. In the principal rules, for the Second Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:--

"SECOND SCHEDULE
(See rule 8)
FEE

Sl. No.	Fee payable on matters	Amount of fee	Form number
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Conducting tests	1) Depend on the nature and type of test subject to a maximum of Rs.2,00,000/- per entry	---

		2) For On-farm DUS testing, fee shall depend on the location of DUS test sites subject to a maximum of four times of the fee specified for item (1)	
2.	Notice of opposition	Rs.10,000/-	PV3
3.	Counter statement	Rs.2,000/-	PV4
4.	Extension of time	Rs.5,000 /-per month.	PV5
5.	Fees for registration of essentially derived varieties	Individual-Rs.7,000/- Educational-Rs.10,000/- Commercial-Rs.50,000/-	---
6.	Fees for registration of extant variety as notified under section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966)	Rs.2,000/-	____
7.	Fees for registration of any variety of the genera and species other than extant varieties and farmers' varieties as specified in clause (a) of section 14 read with sub-section (2) of section 29 of the Act.	Individual-Rs.7,000/- Educational-Rs.10,000/- Commercial-Rs.50,000/-	---
8.	Fees for registration of a variety about which there is common knowledge i.e., the extant variety as specified under clause (j)(iii) of section 2 of the Act.	Individual-Rs.7,000/- Educational-Rs.10,000/- Commercial-Rs.50,000/-	---
9.	Renewal fee	Individual - Rs. 7,000/- Educational- Rs 10,000/- Commercial - Rs. 80,000/- Per year	PV6
10.	Application for benefit sharing	Rs.10,000/-	PV7
11.	Notice of opposition for benefit sharing	Rs.5,000/-	PV8
12.	Application for registering as agent/licensee	Rs.15,000/-	PV9
13.	Application for variation/ cancellation of the terms of registration	Individual-Rs.3,000/- Educational –Rs.5,000/- Commercial-Rs.10,000/-	PV10
14.	Notice of opposition to application for variation/ cancellation of terms of registration	Rs.5,000/-	PV11
15.	Application of surrender of certificate of registration of plant variety	Rs.5,000/-	PV 12
16.	Notice of opposition for offer to surrender the certificate	Rs.5,000/-	PV 13
17.	Application to revoke certificate of registration	Rs.20,000/-	PV 15
18.	Notice of opposition to application to revoke certificate of registration	Rs.5,000/-	PV 16
19.	Application for cancellation or change of the certificate of registration of a plant variety	Rs.10,000/-	PV 18

IndiaCode

20.	Application for correction in National Plant Variety Register	Rs.10,000/	PV 19
21.	Notice of opposition for application for correction in National Plant Variety Register	Rs.5,000/-	PV 20
22.	Application for correction in National Plant Variety Register by owner/breeder	Rs.10,000/-	PV 21
23.	Application for correction in National Plant Variety Register by registered agent or licensee	Rs.5,000/-	PV 22
24.	Application to alter denomination of a registered plant variety	Rs.20,000/-	PV 23
25.	Notice of opposition to application to alter denomination of a registered plant variety	Rs.10,000/-	PV 24
26.	Notice of opposition to application for claiming compensation	Rs.5,000/-	PV 26
27.	Notice of opposition to application for claiming compensation	Rs.5,000/-	PV 27
28.	Application for grant of compulsory license	Rs. 25,000/-	PV 28
29.	Notice of opposition to an application for grant of compulsory licence	Rs.10,000/-	PV 29
30.	Application for revocation of compulsory licence	Rs.10,000/-	PV 30
31.	Notice of opposition for application for revocation of compulsory licence	Rs.5,000/-	PV 31
32.	Request for inspection of entry in Plant Varieties Register under section 84	Rs. 1000/- (per entry)	PV 33
33.	Request for certified copies under section 84	Rs. 500/- per page.	PV 33".

IndiaCode

18. In the principal rules, in the Third Schedule, against Form number O-12, for the existing entry under column (3), the following entry shall be substituted, namely:-

"Notice for compensation towards communities' rights".

19. In the principal rules, for the Fourth Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:--

"FOURTH SCHEDULE

[See rule 20(1)]

Serial Number.	Name of post.	Number of post.	Equivalent post under the Central Government.	Pay band or grade pay or pay scale.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Financial Advisor	1	Director	Pay band-4 (Rs. 37400-67000) with grade pay of Rs. 8700/-.
2.	Legal Advisor	2	Under Secretary	Pay band-3 (Rs. 15600-39100) with grade pay of Rs. 6600/-.
3.	Senior Accounts Officer	1	Under Secretary	Pay band-3 (Rs. 15600-39100) with grade pay of Rs. 6600/-.
4.	Plant Variety Examiner	2	Section Officer	Pay band-3 (Rs. 15600-39100) with grade pay of Rs. 5400/-.

5.	Senior Technical Officer	5	Assistant	Pay band-2 (Rs.9300-34800) with grade Pay of Rs. 4600/-.
6.	Technical Assistant	1	Technical Assistant	Pay band-2 (Rs. 9300-34800) with grade pay of Rs. 4200/-.
7.	Computer Assistant	6	Technical Assistant	Pay band-2 (Rs. 9300-34800) with grade pay of Rs. 4200/-.
8.	Executive Assistant	2	Technical Assistant	Pay band-2(Rs. 9300-34800) with grade pay of Rs.4200/-.

20. In the principal rules, in the Sixth Schedule,-

(a) after paragraph 2 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"2A. Principal place of business or domicile of the applicant

_____".

(b) in the declaration, for the existing endorsing authorities at the end, the following shall be substituted, namely:-

"[(Chairperson/Secretary of the Concerned Panchayat Biodiversity Management Committee OR Concerned District Agricultural Officer OR Director of Research/ Director of Extension of concerned State Agricultural Universities OR Concerned District Tribal Development Office/Zonal Project Director (ICAR) (with Official Rubber Stamp)]".

[F. No. 1-24/2012-SD.V]

RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note:-The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 738(E), dated the 12th September, 2003 and subsequently amended by the following numbers:- (i) G.S.R. 843(E), dated the 30th December, 2004, (ii) G.S.R. 731(E), dated the 14th October, 2008, (iii) G.S.R. 319(E), dated the 11th May, 2009, (iv) G.S.R. 783(E), dated the 27th October, 2009, (v) G.S.R. 901(E), dated the 17th December, 2009, (vi) G.S.R. 949(E), dated the 3rd December, 2010, (vii) G.S.R. 900(E), dated the 17th December, 2012, (viii) G.S.R. 901(E), dated the 17th December, 2012, (ix) G.S.R. 902(E), dated the 17th December, 2012 and (x) G.S.R. 115(E), dated the 20th February, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2015

सा.का.नि.495(अ)--केन्द्रीय सरकार पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 39 की उप-धारा (1) के खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (जीन निधि से मान्यता और पुरस्कार) नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (जीन निधि से मान्यता और पुरस्कार) संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (जीन निधि से मान्यता और पुरस्कार) नियम, 2012 (जिनको इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 2 के उप-नियम (3) में "एक लाख रूपए नकद" शब्दों के स्थान पर "नकद की ऐसी राशि, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए" शब्द रखे जाएंगे।

3. मूल नियमों के नियम 3 में, उप-नियम (2) में, "प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह" शब्दों के स्थान पर "प्रशंसा पत्र, स्मृति चिन्ह और नकद की ऐसी राशि, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं 1-24/2012-एसडी.V]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड(1) में अधिसूचना सा.का.नि.601 (अ) तारीख 31.7.2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2015

G.S.R. 495(E).— In exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (1) of Section 39 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001) the Central Government hereby makes the following rules to amend the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (Recognition and Reward from the Gene Fund) Rules, 2012, namely:-

1. **Short title and Commencement –** (1) These Rules may be called Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (Recognition and Reward from the Gene Fund) Amendment Rules, 2015.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Plant Varieties and Farmers' Rights (Recognition and Reward from the Gene Fund) Rules, 2012 (hereinafter referred to as the principal rules), in sub-rule (3) of rule 2, for the words "cash of rupees one lakh each", the words "such an amount of cash as may be decided by the Central Government" shall be substituted.

3. In the sub-rule (2) of rule 3 of the principal rules, for the words "citation and memento", the words "citation, memento and such an amount of cash as may be decided by the Central Government" shall be substituted.

[F. No. 1-24/2012-SD.V]

RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note:-The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification G.S.R. 601(E), dated the 31st July, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली,15 जून, 2015

सा.का.नि.496(अ).—पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 95 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से पौधा किस्म और कृषक अधिकार विनियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ,-- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) विनियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विनियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) में विनियम 3 में, उपविनियम (13) में "राजपत्र या" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

3. मूल विनियमों में विनियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"**(4) अधिकारिता.—**रजिस्ट्रार की अधिकारिता ऐसी होगी जैसी प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अवधारित की जा सकेगी ।"

4. मूल विनियमों में, विनियम 5 में,—

(क) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) कोई व्यक्ति, जिसके पास सिद्ध प्रबंधकीय, विधि या बौद्धिक संपदा अधिकार या कृषि विकास अनुभव हो, प्राधिकरण में रजिस्ट्रार का पद धारण करने का पात्र होगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा, जिसे प्रतिवर्ष प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन से विस्तारित किया जा सकेगा

और ऐसी प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि विस्तारित अवधि सहित पांच वर्ष से अनधिक होगी ।";

(ख) उप-विनियम (2) का लोप किया जाएगा ।

5. मूल विनियमों में, विनियम 6 में,--

(क) "सात" शब्द के स्थान पर "दस" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) "एक कृषक प्रतिनिधि" शब्दों के स्थान पर "कृषि विभाग के बीज प्रभाग से एक प्रतिनिधि" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

6. मूल विनियमों में, प्ररुप 1 और प्ररुप 2 में क्रम सं. 3 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. क्रमश: अंत:स्थापित की जाएगी :--

"3(क) कारबार का मुख्य स्थान या आवेदक का अधिवास :

.....

.....

....." ।

[फा. सं. 1-24/2012-एसडी.V]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 740(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2006 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 116(अ) तारीख 20 फरवरी, 2013 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2015

G.S.R. 496(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Authority with the previous approval of the Central Governments, makes the following regulations further to amend the Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Regulations, 2006, namely:—

1. Short title and commencement.–(1) These Regulations may be called the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (Amendment) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Regulation, 2006 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 3, in sub-regulation (13), the words "Gazette or" shall be omitted.

3. In the principal regulations, for regulation 4, the following regulation shall be substituted, namely:—

"(4) **Jurisdiction**.- The jurisdiction of the Registrar shall be such as may be determined by the Authority from time to time.".

4. In the principal regulations, in regulation 5,

(a) for sub regulation (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) A person having proven managerial, legal or Intellectual Property Rights or Agricultural development experience shall be eligible to hold office of Registrar in the Authority and shall be appointed on deputation for a period of three years, which may be extended annually with the approval of the administrative Ministry and the total period of such deputation including the extended period shall not exceed five years.";

(b) sub-regulation (2) shall be omitted.

5 . In the principal regulations, in regulation 6, -

(a) for the word ''seven'' the word "ten" shall be substituted;

(b) after the words "one Farmers' Representative", the words "one representative from the Seed Division of Department of Agriculture" shall be inserted.

6. In the principal regulations, in Form I and Form II after serial number 3, the following serial number shall respectively be inserted:-

"3.(a) Principal place of business or domicile of applicant:

_____".

[F. No. 1-24/2012-SD.V]
RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note:-The principal regulations were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 740(E), dated the 7th December, 2006, and subsequently amended *vide* number G.S.R. 116(E), dated the 20th February, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2015

सा.का.नि. 497(अ).—केंद्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम की विरचना करती है, अर्थात् :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ,**-- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण स्कीम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.— इन स्कीमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) अभिप्रेत है ;

(ख) "स्कीम" से इस अधिनियम के अधीन विरचित स्कीम अभिप्रेत है ;

(ग) "अनुसूची" से स्कीम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(घ) इस स्कीम में प्रयुक्त समस्त अन्य शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इस स्कीम में परिभाषित नहीं की गई हैं, परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में है ।

3. दावों का रजिस्ट्रीकरण,-- (1) धारा 41 के प्रयोजनों के लिए दावा संबंधित अधिसूचित केंद्र के समक्ष प्रथम अनुसूची के अनुसार तीन प्रतियों में फाइल किया जाएगा ।

(2) संबंधित अधिसूचित केंद्र धारा 41 के अधीन दावे की प्राप्ति पर आवेदक को सूचित करेगा और इसकी एक प्रति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा तथा तत्पश्चात् इसके निष्कर्ष की रिपोर्ट प्राधिकारी को ऐसे दावे की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर करेगा ।

(3) प्राधिकारी, संबंधित अधिसूचित केंद्र से दावे की प्रति की प्राप्ति पर दावा रजिस्ट्रीकृत करेगा, जो दूसरी अनुसूची के अनुसार अनुरक्षित किया जाएगा ।

4. अभिलेखों का अनुरक्षण और रजिस्टर.--(1) प्राधिकारी, संबंधित अधिसूचित केंद्र से रिपोर्ट की प्राप्ति पर और ऐसी जांच तथा रिपोर्ट के अवलोकन पर ऐसे दावे की प्रविष्टि रजिस्टर में करेगा तथा इसको दूसरी अनुसूची के अनुसार अनुरक्षित करेगा ।

(2) दावे से संबंधित सभी दस्तावेज तीन प्रतियों में अनुरक्षित किए जाएंगे ।

5. ऐसे दावों के समाधान में प्राप्त रकमों का उपयोग.—(1) प्राधिकारी द्वारा ऐसे दावों के संबंध में अधिनिर्णीत प्रतिकर का उपयोग समुदाय द्वारा आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए किया जाएगा जिसके अंतर्गत स्वस्थाने और पूर्व सिटू संग्रहण और ऐसे संरक्षण और सतत उपयोग का कार्यान्वयन करने के लिए पंचायत की सक्षमता को सशक्त बनाना है ।

(2) अधिनिर्णीत प्रतिकर प्राधिकारी द्वारा, यदि आवश्यक हो, समुदाय इसकी पंचायत और जैव विविधता प्रबंधन समिति की मध्य ऊपर उल्लेखित प्रयोजन के लिए ऐसे अनुपात में आबंटित किया जाएगा, जिसे वह उपयुक्त समझे ।

6. संवितरण या आबंटन की प्रक्रिया.—यदि प्रतिकर के संवितरण या आबंटन के मद्दे कोई विवाद उत्पन्न होता हो तो प्राधिकारी उस रीति में अधिनिर्णीत करेगा जिसे वह उपयुक्त समझे ।

7. प्रसुविधा प्राप्ति का उपयोग—प्राधिकारी रजिस्ट्रीकृत प्रजनक द्वारा निक्षिप्त प्रसुविधा प्राप्ति रकम का दस प्रतिशत अलग रखेगा और जिसका उपयोग प्रजनक, खोज या किस्मों के विकास, जिसके संबंध में प्रसुविधा प्राप्ति अवधारित की गई है, में लगे हुए कृषकों की सहायता के लिए करेगा ।

8. लेखों का अनुरक्षण और संपरीक्षा—लेखों का अनुरक्षण और संपरीक्षा भारत के महालेखापरीक्षक द्वारा केंद्रीय स्वायत निकायों के लिए यथा-विनिर्दिष्ट होगी ।

प्रथम अनुसूची

[पैरा 3(1) देखें]

धारा 41 के अधीन प्रतिकर के दावे के लिए प्ररुप

सेवा में,

(अधिसूचित केंद्र का नाम और पता)

1.	आवेदक का नाम (साफ अक्षरों में)	
2.	आवेदन की प्रास्थिति	व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, सरकारी, गैर-सरकारी
3.	यदि गैर-सरकारी, तो रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे	

4.	आवेदक का डाक पता (पत्राचार के लिए)	
5.	ग्राम या स्थानीय समुदाय का नाम और अवस्थिति	
6.	रजिस्ट्रीकृत प्रजनक, जिसके विरुद्ध दावा फाइल किया गया है, का नाम	
7.	रजिस्ट्रीकृत किस्म, जिसके संबंध में दावा फाइल किया गया है, का नाम	
8.	किस्म के संबंध में ग्राम या स्थानीय समुदाय के योगदान के ब्यौरे (रजिस्ट्रीकृत किस्म के विकास में उपयोग किए जाने हेतु अभिकथित)	
9.	क्या किस्म का अभी भी ग्राम या स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षण किया जा रहा है ? यदि हां, तो ब्यौरे दें ।	
10.	क्या ग्राम या स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षित किस्म को लोक जैव विविधता रजिस्टर में स्थान मिला है ?	

घोषणा

ऐसे व्यक्ति का नाम और पता/दूरभाष सं./ई-मेल पता जिसके साथ रजिस्ट्रार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण पत्राचार कर सकता है :

नाम (साफ अक्षरों में)

डाक पता (पत्राचार के लिए)

ब्लॉक

ग्राम

डाकघर

जिला

राज्य

पिन

दूरभाष (यदि कोई हों)

आवेदन में दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन में नामित कृषक ने इस आवेदन प्ररुप में उल्लेखित सामग्री को संरक्षित किया है और उसमें सुधार लाया है ।

(संबंधित पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष/सचिव या संबंधित जिला कृषि अधिकारी या संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक या संबंधित जिला जनजातीय विकास कार्यालय द्वारा प्रमाणित किया जाना है)

(मुहर, हस्ताक्षर तारीख सहित)

टिप्पण :

1. कृपया आवेदन प्ररुप के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें ।
2. कोई आवेदन फीस नहीं है ।
3. किसी स्तंभ में ब्यौरे/सूचना के लिए अतिरिक्त पृष्ठ उपाबंध के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं ।
4. घोषणा संलग्न की जानी है ।

IndiaCode

दूसरी अनुसूची

[पैरा 3(2) और 4(1) देखें]

धारा 41 के अधीन दावों के रजिस्टर का प्ररूप

क्रम सं.	आवेदक का नाम	ग्राम या स्थानीय समुदाय के ब्यौरे	अधिसूचित केंद्र में दावा फाइल करने की तारीख और अधिसूचित केंद्र के ब्यौरे	समुदाय की किस्म के ब्यौरे, जिसके संबंध में दावा फाइल किया गया है	रजिस्ट्रीकृत किस्म के ब्यौरे, जिसके विरुद्ध दावा फाइल किया गया है	रजिस्ट्रीकृत किस्म के प्रजनक के ब्यौरे, जिसके विरुद्ध दावा फाइल किया गया है	दावा संख्या और वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8

अधिसूचित केंद्र से दावे की प्राप्ति की तारीख	अधिसूचित केंद्र से जांच रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख	पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 की तीसरी अनुसूची के प्ररुप ण-12 जारी करने की तारीख	पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 की प्रथम अनुसूची के प्ररुप पीवी-27 फाइल करने की तारीख	सुनवाई और उसके परिणाम के ब्यौरे	प्रतिकर की रकम	जीन निधि में प्रतिकर का निक्षेप	दावेदार को प्रतिकर प्रदान करने की तारीख
9	10	11	12	13	14	15	16

समुदाय द्वारा प्रतिकर के उपयोग के ब्यौरे	दावा रकम के उपयोग/ संवितरण संबंधी विवाद के ब्यौरे	आबंटन के ब्यौरे	प्रजनन के लिए उपयोग, किस्म की खोज का विकास	संपरीक्षा के टिप्पण	अन्य
17	18	19	20	21	22

[फा.सं. 1-24/2012-एसडी.V]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2015

G.S.R. 497(E). — In exercise of the powers conferred by section 46 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby frames the following scheme, namely:—

Chapter I

Preliminary

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Scheme, 2015.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.-In these Schemes, unless the context otherwise requires,—

 (a) "Act " means the Protection of Plant Varieties and farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001);
 (b) "Scheme" means the Scheme framed under the Act;
 (c) "Schedule" means the Schedule annexed to the Schemes;
 (d) all other words and expressions used, but not defined in this Scheme, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
3. Registration of claims.—(1) The claim for purposes of Section 41 shall be filed in triplicate in accordance with the first Schedule before the concerned notified centre.

IndiaCode

(2) The concerned notified centre upon the receipt of the claim under section 41, shall inform the applicant and forward a copy of it to the Authority and thereafter report its findings to the Authority within a period of thirty days from the date of receipt of such claim.

(3) Upon the receipt of the copy of the claim from the concerned notified centre, the Authority shall register the claim which shall be maintained in accordance with the Second Schedule.

4. Maintenance of records and register.—(1) The Authority upon receipt of the report from the concerned notified centre and upon such enquiry and perusal of the report, enter such claim in the register and maintain it in accordance with the Second Schedule.

(2) All the documents related to the claim shall be maintained in triplicate.

5. Utilisation of amounts received in satisfaction of such claims.—(1) The compensation awarded by the Authority in respect of such claims shall be utilised by the community for conservation and sustainable use of genetic resources including in situ and ex situ collections and for strengthening the capability of panchayat in carrying out such conservation and sustainable use.

(2) The compensation awarded shall be apportioned by the Authority, if necessary, between the community, its panchayat and Bio-Diversity Management Committee in the ratio as deemed fit by it, for the purpose mentioned above.

6. Procedure for disbursal or apportionment.—If any dispute arises between disbursal or apportionment of the compensation, the Authority shall adjudicate it in the manner as may be deemed fit by it.

7. Utilisation of benefit sharing.—The Authority shall set-apart ten percent of benefit sharing amount deposited by the registered breeder and shall be utilised for supporting farmers engaged in breeding, discovery or development of varieties in respect of which benefit sharing has been determined.

8. Maintenance and audit of accounts.—The maintenance and audit of accounts shall be as specified by the Comptroller and Auditor-General of India for Central autonomous bodies.

FIRST SCHEDULE

[See paragraph 3(1)]

FORM FOR CLAIM OF COMPENSATION UNDER SECTION 41

To,

(Name and address of notified centre)

1.	Name of the applicant (IN CAPITAL LETTERS)	
2.	Status of the applicant	Persons Group of persons Governmental Non-Governmental
3.	If non-Governmental, then details of registration.	
4.	Postal address of applicant (for correspondence)	
5.	Name and location of the village or local community	
6.	Name of the registered breeder against whom claim is filed.	
7.	Name of registered variety in respect of which claimed is filed.	
8.	Details of contribution of the village or local community in respect of the variety (alleged to be used in the evolution of the registered variety)	
9.	Is the variety still being conserved by the village or local communities? If the answer is yes, give the details	
10.	Whether the variety conserved by the village or local community finds place in People's Bio-diversity Register	

DECLARATION

Name and address/telephone No. /e-mail of the person with whom the Registrar, Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority can correspond with:

Name (in block letters) _____

Postal address (for correspondence) _____

Block _____

Village _____
P.O. _____
District _____
State _____
Pin _____
Tel. (if any) _____

The information given in the application is true to the best of my knowledge, information and belief.

Signature of the applicant
It is hereby certified that the farmer named in this application has conserved and improved the material mentioned in this application form.

(To be certified by Chairperson/Secretary of the concerned panchayat Bio-diversity Management Committee or concerned District Agricultural Officer or Director of Research of concerned State Agriculture University or Concerned District Tribal Development Office)

(Seal, Sign with date)

Note: 1. Please sign each page of the application Form.
2. There is no application fee.
3. For details/ information in any column, extra pages can be attached as Annexure.
4. Declaration to be attached.

SECOND SCHEDULE
[See paragraphs 3(2) and 4(1)]
Format of register of claims under section 41

Serial number	Applicants name	Details of village or local community.	Date of filing of claim in notified centre and details of notified centre.	Details of community's variety with respect to which claim is filed.	Details of registered variety against which claim is filed.	Details of breeder of registered variety against which claim is filed.	Claim number and year.
1	2	3	4	5	6	7	8

Date of receipt of claim from notified centre.	Date of receipt of enquiry report from notified centre.	Date of issue of Form O-12 of Third Schedule of Protection of Plant Varieties & Farmers Rights Rules, 2003.	Date of filing of Form PV-27 of First Schedule of PPV&FR Rules 2003.	Details hearing and its outcome.	Amount of compensation.	Deposit of compensation in the Gene Fund.	Date of grant of compensation to claimant.
9	10	11	12	13	14	15	16

Details of utilisation of compensation by the community.	Details of dispute as to utilisation /disbursal of claim amount.	Details of apportionment.	Utilisation for breeding, discovery of development of varieties.	Comments of audit.	Others.
17	18	19	20	21	22

[F. No. 1-24/2012-SD.V]
RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.